बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0संख्या– 02/अनुकंपा–100–07/2015– 5282 पटना, दिनांक– 01.09.2016

कार्यालय आदेश

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या 2822 दिनांक 27.04.95 तथा कल्याण विभाग के पत्रांक 5974 दिनांक 08.11.95 के आलोक में जिला अनुकम्पा समिति, मोतिहारी से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर श्री अमित कुमार झा, पिता–स्व0 पुनीत लाल झा, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, मोतिहारी को अनुकंपा के आधार पर जिला कल्याण कार्यालय, भागलपुर में निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर वेतनमान 5200–20200 एवं ग्रेड पे–1900 में समय–समय पर सरकार द्वारा अनुमान्य देय भत्ते के साथ निम्नांकित शर्त्तों के साथ अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

1– इनके ऊपर मृतक के आश्रित परिवार के नाबालिग सभी भाई–बहनों के भरण–पोषण का पूर्ण उत्तदायित्व होगा।

2– श्री अमित कुमार झा की नियुक्ति के संबंध में दिनांक 01.09.05 के प्रभावी "बिहार सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना 2005" लागू होगी।

3– नियुक्ति आदेश निर्गत की तिथि से 21 दिनों के अंदर वे जिला कल्याण कार्यालय, भागलपुर के कार्यालय में योगदान करेंगे।

4– योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सा–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

5– योगदान के साथ दिये गये सभी प्रमाण–पत्रों के संबंध में उम्मीदवार को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा दिये गये सभी प्रमाण–पत्र सत्य हैं तथा जांचोपरान्त गलत पाये जाने पर उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। साथ–ही उनके द्वारा सरकारी कोष से प्राप्त राशि की वसूली की जायेगी एवं उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की जायेगी।

6– योगदान के समय इस आशय का घोषणा–पत्र समर्पित करना होगा कि अपने शादी–ब्याह में किसी प्रकार के तिलक–दहेज का लेन–देन नहीं करेंगे।

P.T.O

क– योगदान की तिथि से वेतन देय होगा।

ख– योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

7– विभाग द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा नियुक्ति में संदिग्धता पाये जाने पर नियुक्ति आदेश रद्द कर दी जायेगी।

8– विभाग द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि तीन माह के अंदर कराना अनिवार्य होगा तथा छः माह के अंदर कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

निदेशक 1/9/16

ज्ञापांक–02 / अनुकंपा–100–07 / 2015– 5287 पटना, दिनांक 01.09.16

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि अनुकम्पा के आधार पर की गयी इस नियुक्ति पत्र को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी 100 प्रतियां निदेशक, अनुसूचित जाति, एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

निदेशक 1/9/16

ज्ञापांक–02 / अनुकंपा–100–07 / 2015– 5287 पटना, दिनांक 01.09.16

प्रतिलिपि–जिला पदाधिकारी, मोतिहारी को उनके पत्रांक 194 दिनांक 09.03.2016 के संदर्भ में / उप विकास आयुक्त, मोतिहारी / उपनिदेशक, कल्याण, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर / जिला कल्याण पदाधिकारी, भागलपुर एवं कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 1/9/16

ज्ञापांक–02 / अनुकंपा–100–07 / 2015– 5287 पटना, दिनांक 01.09.16

प्रतिलिपि–श्री अमित कुमार झा, पिता–स्व0 पुनीत लाल झा, साकिन–चांदपुर, थाना–जगदीशपुर, जिला–भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक 1/9/16